राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

NHB (ND)/ROD/ Refinance Circular No. 4/2024-25

October 09, 2024

All Eligible HFCs for availing Refinance from NHB

Madam/Sir,

Pool of flagged IHL for availing refinance

It is to be brought to the notice of all HFCs availing refinance facility from National Housing Bank, that in order to ensure financial inclusion and credit flow to the underserved strata of the society, it has been decided that henceforth, out of total refinance limit availed, HFCs should assign at least 75% of the loan pool data to NHB which are compliant with the definition of Individual Housing Loan (IHL) laid down in RBI's master direction on Priority Sector Lending (PSL) *(i.e. Loans to individuals up to ₹35 lakh in metropolitan centres (with population of ten lakh and above) and up to ₹25 lakh in other centres for purchase/construction of a dwelling unit per family provided the overall cost of the dwelling unit in the metropolitan centre and at other centres does not exceed ₹45 lakh and ₹30 lakh respectively).*

All the HFCs are advised to take note of the above and ensure compliance.

Yours faithfully,

S Kmy

(Sourav Seal)
General Manager

भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय
कोर 5-ए, तीसरे से पांचवां तल, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष : 011-3918 7000 फैक्स : 011-2464 9030
वेबसाईट : www.nhb.org.in ई.मेल : ho@nhb.org.in

Statutory Body under the Government of India
Core 5-A, 3rd to 5th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003
Phone : 011-3918 7000 Fax : 011-2464 9030
Website : www.nhb.org.in E-mail : ho@nhb.org.in

"बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है"

रा.आ.बैंक(नदि)/आरओडी/ पुनर्वित्त परिपत्र संख्या 4/2024-25
अक्टूबर 09, 2024

राष्ट्रीय आवास बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए सभी पात्र आवास वित्त कंपनी

महोदया/महोदय,

<u>पुनर्वित्त प्राप्त करने हेतु चिह्नित वैयक्तिक आवास ऋण का समूह</u>

राष्ट्रीय आवास बैंक से पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त करने वाले सभी आवास वित्त कंपनियों के ध्यान में यह लाया जाता है कि समाज के वंचित वर्ग को वित्तीय समावेशन एवं ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि अब से प्राप्त कुल पुनर्वित्त सीमा में से, आवास वित्त कंपनियों को ऋण समूह डेटा का कम से कम 75% रा.आ.बैंक को आवंटित करना होगा जो भा.रि.बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) पर मास्टर निदेश में निर्धारित वैयक्तिक आवास ऋण (आईएचएल) की परिभाषा के अनुरूप हैं *(अर्थात महानगरीय केंद्रों में ₹35 लाख तक (दस लाख और उससे अधिक की आबादी के साथ) और अन्य केंद्रों में ₹25 लाख तक के ऋण प्रति परिवार आवास इकाई के क्रय/निर्माण के लिए महानगरीय केंद्र और अन्य केंद्रों में आवासीय इकाई की कुल लागत क्रमशः ₹45 लाख और ₹30 लाख से अधिक नहीं है)।*

सभी आवास वित्त कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त को नोट करें और अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सौरभ सील
(सौरव सील)
महाप्रबंधक